न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

6

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–04/2019 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

बलवीर कौर आयु 85 वर्ष पत्नी स्वर्गीय टहल सिंह जाति रामगढिया निवासी सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी गली नं. 18 वार्ड नं. 23 पीलीबंगा हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. बलजिन्द्र सिंह आयु 50 वर्ष पुत्र श्री टहल सिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 11 सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सुखमन्द्र सिंह आयु 47 वर्ष पुत्र श्री टहल सिंह जाति रामगढिया निवासी वार्ड नं. 10 सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश/निर्णय दिनांक 24.06.2019 बअदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा प्रकरण सं. 01/2019 अनवान बलवीर कौर बनाम बलविन्द्र सिंह आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–11.01.2023**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से एक प्रार्थना पत्र श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा के समक्ष अन्तर्गत धारा 5 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इन अभिकथनों का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट गांव सिंहपुरा की स्थाई निवासी है जो अक्सर बीमार रहती है। अपीलान्ट के पति टहल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह के नाम चक 10 बीएलडब्ल्यु. के प नं. 43/243 का किला न. 1,2, 9 ता 12, 19.20 व प. नं. 44/243 का किला नं. 1 ता 22 तथा प. नं. 45/243 का किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 10.120 हैक्टर व चक 7 बीएलडब्ल्यु. के प.न. 44/242 का किला 16, 17, 21 ता 25 की 1.632 हैक्टर कुल लगभग 46 बीघा कृषि भूमि थी। अपीलान्ट व अपीलान्ट के पति टहल सिंह अपनी वृद्धावस्था में रेस्पोडेन्ट द्वारा उनकी सेवाचाकरी नहीं करने पर गांव सिंहपुरा में ही अलग मकान में रहकर ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अपीलान्ट के पति टहल सिंह ने अपीलान्ट के भविष्य के भरण पोषण को ध्यान मे रखते हुये अपनी चक 10 बीएलडब्ल्यु. की प. नं. 43/243 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 की 8 बीघा व प. नं. 44/243 का किला नं. 4 ता 7. 14 ता 17 की 8 बीघा कुल 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 16.02.2001 को लेखबद्ध करवाकर उसे उपपंजीयक श्रीगंगानगर से पंजीबद्ध करवाई गई। अपीलान्ट के पति टहल सिंह की मृत्यु दिनांक 10.01.2014 को हुई। अपीलान्ट का पति अपनी मृत्यु तक अपीलान्ट के पास ही रहा। रेस्पोडेन्टस ने अपीलान्ट के पति की मृत्यु के पश्चात गवाहान आदि से मिलीभक्त होकर अपीलान्ट के पति टहल सिंह की दिनांक 03.11.2011 की एक फर्जी वसीयत अपने नाम तैयार की तथा उसका सगुप्त रूप से उपयोग करते हुये उक्त वर्णित समस्त भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली। यदि अपीलान्ट के पति द्वारा दिनांक 03.11.2011 को अपनी कोई वसीयत निष्पादित की गई होती तो वह अपीलान्ट को जो कि रेस्पोडेन्टस से अलग उसके साथ निवास कर रही थी तथा अपीलान्ट को टहल सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके गुजारे भत्ते को ध्यान में रखते हुये जिस बाबत टहल सिंह द्वारा पूर्व मे ही दिनांक 16.02.2001 को अपनी वसीयत निष्पादित की हुई थी। अपनी वसीयत मे आवश्यक रूप से ही अपनी सम्पति का कुछ हिस्सा आवश्यक रूप से देते। रेस्पोडेन्टस ने टहल सिंह की कूटरचित वसीयत के आधार पर समस्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने के पश्चात

Web Copy - Not Official

समस्त भूमि पर कब्जा करके अपीलान्ट को किसी रूप मे गुजारा भत्ता देना बन्द कर दिया व मारपीट कर घर से निकाल दिया। अपीलान्ट अपनी पुत्रीयों के पास गई तथा उन्हें साथ लेकर अपने पक्ष मे निष्पादित वसीयत लेकर हल्का पटवारी से मिली तो अपीलान्ट को जानकारी हुई की टहल सिंह की समस्त भूमि का इन्तकाल रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 09.07.2014 को ही अपने नाम दर्ज करवा लिया जिस पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टस द्वारा तैयार की गई फर्जी वसीयत को अपनी पुत्रीयों के साथ निरस्त करने हेतू माननीय जिला न्यायाधीश हनुमानगढ के समक्ष सिविल वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2018 को खारिज कर देने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे चुनौति दी हुई है। रेस्पोडेन्टस अपीलान्ट के पति टहल सिंह की समस्त भूमि पर काबिज होकर उस पर फसल काश्त करके होने वाली आय का रेस्पोडेन्टस अकेले उपयोग कर रहे है। अपीलान्ट एक वृद्ध अनपढ़ परिवेश की महिला है जो अपने भरण पोषण दवाईयों के लिये भटकती रहती है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट के पति की समस्त भूमि पर काबिज होकर उसका लाभ उठा रहे होने से तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्टस की वृद्ध माता होने से रेस्पोडेन्टस जो की हष्ट–पुष्ट व्यक्ति है, का विधिक दायित्व बनता है कि वे अपीलान्ट के भरण पोषण हेतु समुचित धनराशि अपीलान्ट को देवे जबकि रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलान्ट को भरण पोषण की कोई धनराशि किसी रूप में नहीं दी जा रही होने से अपीलान्ट जो कि रेस्पोडेन्टस की वृद्ध माता है। अपीलान्ट अपने भरण पोषण व दवाई आदि के लिये रेस्पोडेन्टस से 10,000 रूपये प्रतिमाह प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस ने बेघर कर रखा है। अपीलान्ट कभी किसी लड़की के पास व कभी किसी लड़की के पास रहकर किसी रूप मे अपना पेट भर रही है। रेस्पोडेन्टस न तो अपीलान्ट को घर मे घुसने देते है व न ही अपीलान्ट को किसी रूप मे भरण पोषण करते है बल्कि रेस्पोडेन्टस अपीलान्ट के साथ मारपीट, दुरव्यवहार व गाली–गलौच करते रहते है तथा घर व जमीन में जाने की स्थिति मे जान माल को नुकसान पहुचाने की धमकी देते है। रेस्पोडेन्टस की इन धमकीयो के कारण अपीलान्ट वृद्ध व बीमार होने के बावजूद दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। अपीलान्ट इन परिस्थितियों में रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इस आशय का आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि रेस्पोडेन्टस अपीलान्ट को भरण पोषण हेतु 10,000 रूपये प्रतिमाह अदा करे। रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे कथन किया गया। रेस्पोडेन्ट ने अपने पिता टहल सिंह की उनके जीवन काल में माता बलवीर कौर की सदैव सेवा चाकरी व सार–सम्भाल की है। टहल सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी रेस्पोडेन्ट से अलग निवास नहीं रहा तथा उन्होने सदैव उनकी सेवा व सार सम्भाग की है। टहल सिंह को हुई कैन्सर का पता चलते ही प्राथमिक प्रकरण पर उनका ईलाज बीकानेर में रेस्पोडेन्ट शुरू करवा दिया था जिससे वे सामान्य हो गये थे। अपीलान्ट के पक्ष में टहल सिंह ने अपनी 16 बीघा कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 16.02.2001 को पंजीकृत नहीं करवाई एव न ही प्रार्थीया बलवीर कौर ने ऐसी किसी वसीयत के बारे मे अप्रार्थीगण को कोई दस्तावेज आदि दिखाया। अप्रार्थीगण की सेवा–चाकरी से प्रसन्न होकर टहल सिंह ने अपनी समस्त 46 बीघा भूमि की वसीयत अप्रार्थीगण के नाम दिनांक 03.11.2011 को तहरीर व तस्दीक करवा दी थी टहल सिंह का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2014 को होने पर वसीयत के आधार पर इन्तकाल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो चुका है। अप्रार्थीगण ने सदैव बलवीर कौर की सेवा–चाकरी की है। बलवीर कौर ने अपने पुत्रीयों के बहकावे में आकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे टहल सिंह द्वारा करवाई गई वसीयत निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है जिसकी अपील प्रार्थीया द्वारा की हुई है। अप्रार्थीगण आज भी अपनी माता बलवीर कौर को अपने साथ रखकर उसकी सेवा–चाकरी करने एवं उनकी सार–सम्भाल करने हेतु तैयार व तत्पर है व भविष्य में भी तत्पर रहेगे। प्रार्थीया अपनी पुत्रीयो के बहकावे में आकर व लालच से वशीभूत होकर अप्रार्थीगण से लडाई–झगडा करती है एवं हमारे साथ नहीं रहना चाहती है जबकि अप्रार्थीगण के पास आय को कोई स्थाई स्त्रोत नहीं है। उक्त समस्त 46 बीघा कृषि भूमि बारानी है जिसमे फसल बरसात पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के अलावा अप्रार्थीगण कोई काम–धन्धा नहीं जानते है व अप्रार्थीगण के परिवार पत्नी व बच्चो के भरण–पोषण में व शिक्षा आदि मे अप्रार्थीगण का अत्यधिक धन खर्च होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अप्रार्थीगण से भरण–पोषण स्वरूप 10,000 रूपये मासिक प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिस पर दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे आदेश पर आदेश दिये गये कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 प्रार्थीया को 2500/–, 2500/– कुल 5000 रूपये माह जून 2019 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से अदा करेंगे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा भरण–पोषण की राशि प्रार्थीया के बैक खाते मे जमा करवानी होगी जिसके लिये प्रार्थीया अपना बैक खाता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अपने स्तर पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगी कि प्रार्थीया अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 को निम्नलिखित आधार पर चुनौती देती है–

अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण का आदेश दिनांक 24.06.2019 कतई गलत विधिविरुद्ध होने से काबिज निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण के समक्ष प्रार्थीया द्वारा दिनांक 25.10.2018 को अप्रार्थीगण से भरण पोषण दिलवाये जाने हेतु तथा अन्तरिम भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का निवेदन किया गया था कि अधिकरण ने बिना किसी कारण लेखबद्ध किये व बिना किसी आधार के प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के दिवस से भरण पोषण राशि नहीं दिलवाकर जून माह 2019 से जो भरण पोषण राशि अदा करने के आदेश दिये गये है विधिविरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ/अधिकरण के समक्ष प्रार्थीया ने अपनी 85 वर्ष की वृद्धावस्था होने व प्रार्थीया के बीमार रहने तथा प्रार्थीया के निवास हेतु कोई जगह नही होने के कारण प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से 10,000 रूपये मासिक भरण पोषण राशि की मांग की गई थी जबकि अधिकरण ने बिना किसी आधार के 10,000 रूपये के स्थान पर 5000 रूपये अप्रार्थीगण को अदा करने के आदेश देकर विधिक व तथ्यात्मक भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण/उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2019 को अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थीया को 10,000 रूपये प्रति माह भरण–पोषण के रूप में अदा करे तथा उक्त वर्णित धनराशि प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 25.10.2018 से दिलवाये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट जरिये न्यायमित्र धीरसिंह बराड़ एवं रेस्पोडेन्टस जरिये न्याय मित्र श्री लालचन्द वकील उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलांट जरिये न्यायमित्र अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को रेस्पोडेन्टस ने बेघर कर रखा है। अपीलान्ट कभी किसी लड़की के पास व कभी किसी लडकी के पास रहकर किसी रूप मे अपना पेट भर रही है। रेस्पोडेन्टस न तो अपीलान्ट को घर मे घुसने देते है व न ही अपीलान्ट को किसी रूप मे भरण पोषण करते है बल्कि रेस्पोडेन्टस अपीलान्ट के साथ मारपीट, दुरव्यवहार व गाली–गलौच करते रहते है तथा घर व जमीन में जाने की स्थिति मे जान माल को नुकसान पहुचाने की धमकी देते है। रेस्पोडेन्टस की इन धमकीयो के कारण अपीलान्ट वृद्ध व बीमार होने के बावजूद दर–दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। अपीलान्ट इन परिस्थितियों के कारण ही रेस्पोडेन्टस से भरण–पोषण की मांग रही है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को 10,000 रूपये प्रति माह भरण–पोषण के रूप में रेस्पोडेन्टस से दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

रेस्पोडेन्टस ने जरिये न्यायमित्र उपस्थित होकर अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के पास 46 बीघा कृषि भूमि बारानी है जिसमें फसल बरसात पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के अलावा मिन रेस्पोडेन्टस कोई काम धन्धा नहीं जानते है व रेस्पोडेन्टस के परिवार के भरण–पोषण आदि में भी रेस्पोडेन्टस का अत्यधिक धन खर्च होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया रेस्पोडेन्टस भी वृद्ध श्रेणी के हो चुके है, से भरण–पोषण स्वरूप 10,000 रूपये मासिक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्टस द्वारा उपस्थित होकर अवगत करवाया है कि हमारे द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के आदेशों की पालना की जा रही है तथा दिसम्बर 2022 तक प्रार्थीया के खाते में रूपये जमा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

दोनों पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस से अपीलाण्ट को 10,000 रूपये प्रति माह भरण–पोषण के रूप में दिलाये जाने तथा उक्त वर्णित धनराशि अपीलाण्ट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक

25.10.2018 से दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। न्यायमित्र अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलाण्ट एक वृद्ध व बीमार औरत है जो कमाने में सक्षम नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में पारित आदेश से मिलने वाली भरण–पोषण राशि पर्याप्त नहीं है। न्यायमित्र रेस्पोडेन्टस के कथनानुसार रेस्पोडेन्टस स्वयं की उम्र ज्यादा होने पर वह कमाने में स्वयं सक्षम नहीं होने व कृषि भूमि से कम आय होने पर खुद अपने पुत्रों पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 11208/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2021 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश को ही बहाल रखा गया है। उक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट वृद्ध औरत होने पर स्वयं कमाने में सक्षम नहीं होने व रेस्पोडेन्टस अपने पिता की पैतृक कृषि भूमि स्वयं द्वारा काश्त करने के कारण अपीलाण्ट भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है। चूंकि रेस्पोडेन्टस वृद्ध होने के कारण स्वयं कमाने में ज्यादा सक्षम नहीं होकर अपने पुत्रों पर निर्भर होने पर भरण–पोषण की ज्यादा राशि चुकाने में सक्षम नहीं है। इसलिए यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़